

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई कर जनसामान्य की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा सम्बन्धित को समस्या निस्तारण हेतु जरिये दूरभाष दिये गये आवश्यक निर्देश।

जनपद महोबा में पीड़ित/शिकायतकर्ता की समस्याओं के समुचित एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई की जा रही है, जनता की समस्याओं के समाधान के क्रम में आज दिनांक 21.03.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा फरियादियों/जनसामान्य की समस्याओं एवं समस्याओं को एक-एक करके गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा जनता की समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित को मौके पर जरिये दूरभाष आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित को आदेशित किया गया कि मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करें, लापरवाही की सूचना पर सम्बन्धित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की चेतावती प्रदान की गयी साथ ही शिकायतकर्ता से समय-समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।



मिशन शक्ति अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा चलाया जा रहा महिला जागरूकता/सशक्तिकरण अभियान-

बेटियों में आत्मविश्वास को बढ़ावा देना ही मिशन शक्ति अभियान का मुख्य उद्देश्य-

शासन की मंशा के अनुरूप महिलाओं / बेटियों को स्वावलंबी और सुरक्षित बनाने तथा उनके अधिकारों के सम्बंध में जागरूक करने व उनके साथ घटित होने वाले अपराधों पर प्रभावी रोकथाम करते हुए उनमें सुरक्षा/आत्मविश्वास की भावना जागृत करने के उद्देश्य से “मिशन शक्ति” अभियान के तहत आज दिनांक 20.03.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपदीय पुलिस के थानों की एंटी रोमियो टीमों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों/बीटों/स्कूल/कॉलेज, कोचिंग संस्थानों, मंदिरों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं/बालिकाओं से संवाद कर उन्हें महिलाओं की सुरक्षा हेतु विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसे- वुमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने सीयूजी नम्बरों के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया गया। वर्तमान समय में हो रहे विभिन्न तरीकों के साइबर अपराधों के बारे में भी जानकारी दी गयी। साथ ही साथ यह भी बताया गया कि अपने आस-पास के लोगों को साइबर अपराधों के बारे में जागरूक करें और उन्हें बतायें कि यदि कोई व्यक्ति साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है तो उसकी सूचना तत्काल हेल्पलाइन नम्बर 1930/112 पर दें जिससे समय रहते ही तत्काल अग्रिम कार्रवाई की जा सके।



श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन, श्री भानु भास्कर द्वारा पुलिस लाइन महोबा अवस्थित सभागार में डीआईजी चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बांदा, श्री अजय कुमार सिंह, जिलाधिकारी महोबा श्री मृदुल चौधरी व पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता की मौजूदगी में लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत विभिन्न व्यवस्थाओं के संबंध में जनपदीय पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की गई, दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश।

दिनांक 20.03.2024 को श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, श्री भानु भास्कर के जनपद महोबा आगमन पर सुसज्जित गार्ड द्वारा सलामी दी गयी, महोदय द्वारा सलामी गार्ड का मान प्रमाण लिया गया। तदोपरान्त महोदय द्वारा जनपद महोबा में आगामी लोकसभा चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के लिये की गई विभिन्न तैयारियों की समीक्षा हेतु जनपद महोबा के पुलिस लाइन अवस्थित सभागार में श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बांदा, श्री अजय कुमार सिंह जिलाधिकारी महोबा श्री मृदुल चौधरी व पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता की मौजूदगी में जनपदीय पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा बैठक की गई।

- पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा एडीजी महोदय का जनपद आगमन पर स्वागत किया गया व जनपद महोबा में आगामी लोकसभा के दृष्टिगत पीपीटी के माध्यम से प्रजेन्टेशन के माध्यम से जनपद महोबा की भौगोलिक स्थिति, जनपद के कुल मतदान केन्द्र/मतदेय स्थल, जनपद में अपराधियों/अराजकतत्वों का चिन्हाकन कर उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण, विगत लोकसभा निर्वाचन में अभियुक्तों के विरुद्ध की गई निरोधात्मक कार्यवाही इत्यादि विवरण से सम्बन्धित जनपद की उपलब्धियों तथा लोकसभा चुनाव को निर्विवाद, स्वतंत्र, भयमुक्त माहौल में सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध जीरो टालरेंस नीति के तहत की जाने वाली निरोधात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में अपने निर्धारित लक्ष्यों को बिन्दुवार बताया गया।

- तदोपरान्त श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन, श्री भानु भास्कर द्वारा जनपद में प्रशासनिक अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि चुनाव के संबंध में सभी तैयारियों को समय से पूरा कर लिया जाए। समस्त उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी व थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि सीएपीएफ, पुलिस, पीएसी व होमगार्ड/पीआरडी जवानों के रुकने की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाये, रुकने वाले स्थानों पर साफ-सफाई, शौचालय/स्नानागार तथा शुद्ध पेयजल की उपलब्धता मानक रूप में हो यदि कहीं इसकी व्यवस्था नहीं है तो इसे तत्काल पूरा कर लें। पोलिंग बूथों का राजपत्रित अधिकारी प्रभावी रूप से भौतिक सत्यापन करें तथा आने वाली कमियों को तत्काल दूर कर लिया जाये साथ ही प्रत्येक पोलिंग बूथ पर शौचालय और मतदान के दिन शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाये। मतदान को प्रभावित करने वाले अराजकतत्वों की पहचान कर उन्हें पाबंद किया जाये, साथ ही हिस्ट्रीशीटर अभियुक्तों का सत्यापन किया जाए। शस्त्र धारकों से जल्द से जल्द शस्त्र जमा करा लिए जाएं। उन्होंने निर्देशित किया कि अवैध शराब का निष्कर्षण व बिक्री करने वालों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए ताकि चुनाव के दौरान इसके प्रभाव को रोका जा सके। अवैध शस्त्रों का निर्माण, संग्रहण व बिक्री करने वाले अभियुक्तों पर कड़ी कार्यवाही की जाए। चुनाव में मानक के अनुरूप तैनात होने वाले फोर्स के व्यवस्थापन को देख लिया जाए यदि अतिरिक्त फोर्स की आवश्यक हो तो संबंधित से पत्राचार कर अतिरिक्त फोर्स की मांग कर ली जाए। आगामी लोकसभा चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण कराया जाए, आदर्श आचार संहिता का शतप्रतिशत अनुपालन कराया जाये साथ ही ईवीएम की सुरक्षा को लेकर खास रणनीति तैयार किये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

- सोशल मीडिया पर विशेष जोर देते हुए कहा कि जनपद की पुलिस मीडिया सेल एवं प्रशासनिक मीडिया सेल(सूचना विभाग) द्वारा विभिन्न सोशल साइट्स पर कड़ी निगरानी की जाए और किसी भी भ्रामक खबर का तत्काल खण्डन किया जाए साथ ही भ्रामक पोस्ट करने वाले अराजकतत्वों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए।
- अन्तर्राज्यीय सीमा पर प्रभावी चेकिंग की जाए। मतदान प्रतिशत बढ़ाने तथा लोगों को लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़ कर शामिल होने के लिए प्रेरित करने के लिए व्यापक मतदान जागरूकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने रमजान व होली के त्यौहार के दृष्टिगत मस्जिदों एवं मन्दिरों के पास आवश्यक पुलिस बल तैनात किये जाने के निर्देश दिये साथ ही सूचना तंत्र को विकसित करने व पुराने विवादों यथा-शरीर, जमीन, जातीय विवादों इत्यादि का चिन्हाकन कर क्षेत्र में बहुत ही सतर्कता/सक्रियता के साथ ड्यूटी किये/कराये जाने के निर्देश दिये गये।
- समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री चित्रसेन सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त/राजस्व श्री रामप्रकाश, अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम, समस्त उपजिलाधिकारीगण, समस्त क्षेत्राधिकारीगण, समस्त थाना प्रभारी, चुनाव सेल प्रभारी महोबा सहित अन्य सम्बन्धित पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारीगण उपस्थित रहे।



थाना कुलपहाड़ की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ

01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आगामी त्यौहारों एवं प्रस्तावित लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु अपराधों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के अनुपालन में दिनांक 20.03.2024 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में श्री भास्कर मिश्र, प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ द्वारा गठित की गई 30नि0 धर्मेन्द्र सिंह मय हमराह हे0का0 मुकेश कुमार व का0 विनय प्रताप सिंह की नेतृत्व में पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर एक नफर अभियुक्त विजय कुशवाहा पुत्र प्रेमी उर्फ प्रेम कुशवाहा उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम गैंगवापुरा जैतपुर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को घटना स्थल धौंसा मंदिर रोड ग्राम बेलाताल थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा से मय बरामदशुदा 01 अदद तमंचा देशी 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज के साथ गिरफ्तार किया। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कुलपहाड़ में मु0अ0सं0 103/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

विजय कुशवाहा पुत्र प्रेमी उर्फ प्रेम कुशवाहा उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम गैंगवापुरा जैतपुर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

अभियुक्त से बरामद माल का विवरण:-

एक अदद तमंचा देशी 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. 30नि0 धर्मेन्द्र सिंह
2. हे0का0 मुकेश कुमार
3. का0 विनय प्रताप सिंह



थाना खरेला की पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आगामी त्यौहारों एवं प्रस्तावित लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु अवैध शराब की बिक्री, निष्कर्षण एवं परिवहन की रोकथाम व ऐसे अपराधों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के अनुपालन में दिनांक 20.03.2024 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री रविकान्त गौंड, क्षेत्राधिकारी चरखारी के निकट पर्यवेक्षण में श्री गोपाल चन्द्र कनौजिया, प्रभारी निरीक्षक थाना खरेला द्वारा गठित की गई उ0नि0 अजीत नारायण त्रिपाठी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गश्त/भ्रमण के दौरान एक नफर अभियुक्त बृजलाल कुशवाहा पुत्र स्व0 पुन्ना कुशवाहा उम्र 36 वर्ष निवासी मोहल्ला स्वामीदास कस्बा व थाना खरेला जनपद महोबा को घटनास्थल ईदगाह मोड, पहरेथा रोड ग्राम पहरेथा के पास से एक अदद प्लास्टिक की पिपिया में 10 लीटर अवैध देशी शराब की बरामदगी करते हुए नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना खरेला में मु0अ0सं0 26/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक अग्रिम कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण -

1. उ0नि0 अजीत नारायण त्रिपाठी
2. कां0 चन्दन सिंह

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

बृजलाल कुशवाहा पुत्र स्व0 पुन्ना कुशवाहा उम्र 36 वर्ष निवासी मोहल्ला स्वामीदास कस्बा व थाना खरेला जनपद महोबा

बरामद माल:-

एक अदद प्लास्टिक की पिपिया में 10 लीटर अवैध देशी शराब



थाना कबरई की पुलिस टीम ने 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आगामी त्योंहारों एवं प्रस्तावित लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु अपराधों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 21.03.2024 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री दीपक दुबे, क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई द्वारा गठित की गई उ0नि0 रामकिशन यादव मय हमराह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मु0नं0 2140/19 अ0सं0 130/18 धारा 60 आबकारी अधि0 से सम्बन्धित 01 नफर वारंटी अभियुक्त रामकिशोर उपाध्याय पुत्र गरीबदास उम्र 57 वर्ष नि0मु0 सुभाष नगर कस्वा व थाना कबरई जनपद महोबा को मोहल्ला सुभाष नगर कस्वा व थाना कबरई जनपद महोबा से गिरफ्तार किया गया। बाद गिरफ्तारी अभियुक्त को माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 रामकिशन यादव
2. हे0कां0 आलोक कुमार
3. कां0 लव कुमार

गिरफ्तार अभियुक्त-

रामकिशोर उपाध्याय पुत्र गरीबदास उम्र 57 वर्ष नि0मु0 सुभाष नगर कस्वा व थाना कबरई जनपद महोबा



थाना पनवाडी की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ

01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आगामी त्योंहारों एवं प्रस्तावित लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु अपराधों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 21.03.2024 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक एवं श्रीमती हर्षिता गंगवार, क्षेत्राधिकारी कुलपहाड के निकट पर्यवेक्षण में श्री मनीष कुमार पाण्डेय, प्रभारी निरीक्षक थाना पनवाडी द्वारा गठित की गई उ0नि0 रमेश कुमार यादव, उ0नि0 राजेन्द्र यादव व का0 राहुल कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर एक नफर अभियुक्त भूपेन्द्र पुत्र जयप्रकाश कुशवाहा उम्र 20 वर्ष को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, इस दौरान अभियुक्ते के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना पनवाडी में मु.अ.सं. 45/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया व अभियुक्त को अग्रिम कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

भूपेन्द्र पुत्र जयप्रकाश कुशवाहा उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम निसवारा थाना पनवाडी जिला महोबा।

बरामदगी का विवरण-

एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुआ

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. उ0नि0 रमेश कुमार यादव
2. उ0नि0 राजेन्द्र यादव
3. का0 राहुल कुमार



थाना श्रीनगर की पुलिस टीम ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आगामी त्योंहारों एवं प्रस्तावित लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 21.03.2024 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक एवं श्री रविकान्त गौड़, क्षेत्राधिकारी चरखारी के निकट पर्यवक्षण में श्री अर्जुन सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना श्रीनगर द्वारा गठित की गई उ.नि. दिनेश कुमार यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थाना श्रीनगर में पंजीकृत हुए मु0अ0स0 58/2024 धारा 306 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के वांछित अभियुक्त नवाजिस पुत्र नजीर उम्र 19 वर्ष निवासी मोहल्ला दाऊपुरा कस्वा व थाना श्रीनगर जनपद महोबा को थाना क्षेत्र के बिलखी तिगैला श्रीनगर से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरान्त अभियुक्त को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त व आपराधिक विवरण:-

नवाजिस पुत्र नजीर उम्र 19 वर्ष नि0मु0 दाऊपुरा कस्वा व थाना श्रीनगर जनपद महोबा सम्बन्धित मु0अ0स0 58/2024 धारा 306 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के वांछित थाना श्रीनगर जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम-

1. उ.नि. दिनेश कुमार यादव थाना श्रीनगर जनपद महोबा
2. हे0का0 अनिल कुमार



थाना श्रीनगर की पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा

जुआ खेल रहे 05 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आगामी त्योंहारों एवं प्रस्तावित लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद महोबा में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने के उद्देश्य से जनपद में संचालित अवैध जुआ/सट्टा के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 20.03.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकांत गौड के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना श्रीनगर श्री अर्जुन सिंह द्वारा गठित की गई 30नि0 अर्जुन सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मोहल्ला बांसपहाडिया के पास सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 05 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1.मलखान सिंह पुत्र विहारी राजपूत उम्र 39 वर्ष नि0मु0 बांस पहाडिया कस्बा व थाना श्रीनगर जनपद महोबा 2.सचिन सोनी पुत्र हरगोबिन्द सोनी उम्र 36 वर्ष निवासी मुहल्ला मनोहरगंज कस्बा व थाना श्रीनगर 3.छेदालाल कुशवाहा पुत्र दयाराम कुशवाहा उम्र 22 वर्ष निवासी मुहल्ला बांसपहाडिया कस्बा व थाना श्रीनगर महोबा 4.नीरज कुशवाहा पुत्र केशवप्रसाद उम्र 22 वर्ष निवासी बांस पहाडिया कस्बा व थाना श्रीनगर महोबा 5.बीरेन्द्र शर्मा पुत्र पप्पू शर्मा उम्र 28 वर्ष निवासी बांस पहाडिया कस्बा व थाना श्रीनगर महोबा को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के कब्जे से मौके पर मालफड 2300/- रुपये 52 अदद ताश का पत्ता व जामातलाशी 1200/- रुपये कुल रुपये 3500/ रुपये बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना श्रीनगर में मु.अ.सं. 61/2024 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक अग्रिम कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार करने वाली टीम :-

1 30नि0 अर्जुन सिंह 2. का0 शुभम यादव, 3.का0 शीलू यादव, 4.का0 दिलीप यादव, 5.का0 शैलेश कुमार

नाम पता अभियुक्त :-

1.मलखान सिंह पुत्र विहारी राजपूत उम्र 39 वर्ष नि0मु0 बांस पहाडिया कस्बा व थाना श्रीनगर जनपद महोबा 2.सचिन सोनी पुत्र हरगोबिन्द सोनी उम्र 36 वर्ष निवासी मुहल्ला मनोहरगंज कस्बा व थाना श्रीनगर 3.छेदालाल कुशवाहा पुत्र दयाराम कुशवाहा उम्र 22 वर्ष निवासी मुहल्ला बांसपहाडिया कस्बा व थाना श्रीनगर महोबा 4. नीरज कुशवाहा पुत्र केशवप्रसाद उम्र 22 वर्ष निवासी बांस पहाडिया कस्बा व थाना श्रीनगर महोबा 5.बीरेन्द्र शर्मा पुत्र पप्पू शर्मा उम्र 28 वर्ष निवासी बांस पहाडिया कस्बा व थाना श्रीनगर महोबा

विवरण बरामदगी-

मालफड 2300 रुपये 52 अदद ताश का पत्ता व जामातलाशी 1200 रुपये कुल रुपये 3500/ रुपये



“परिवार परामर्श केन्द्र” कमेटी ने परिवार को बिखरने से बचाया-

आज दिनांक 21.03.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक जनपद महोबा के निर्देशन पर पुलिस लाइन अवस्थित सभाकक्ष में “परिवार परामर्श केन्द्र” कमेटी द्वारा पति-पत्नी के मध्य विवादों को दूर किये जाने हेतु कार्यक्रम का आयोजन प्रभारी महिला थाना श्रीमती सुषमा चौधरी की अध्यक्षता में समस्त सदस्यगणों की उपस्थिति में आयोजित किया गया। जिसमें पारिवारिक विवाद वाले 04 मामलों को सुना गया, जिसमें परिवार परामर्श के सदस्यों की सूझबूझ से पति-पत्नी से संबंधित पारिवारिक विवादों को काउंसलर के द्वारा शिकायतकर्ता व विपक्षीगणों को सुनकर काउंसलिंग की गई, काउंसलिंग के फलस्वरूप 01 दाम्पत्य जोड़ा आपसी मतभेद दूर कर एक साथ रहने को राजी हुए। अन्य मामलों में अगली तारीख दी गई।

इस परिवार परामर्श के दौरान म०का० रेखा देवी, म०का० आरती, श्रीमती विभा पुरवार, श्रीमती नीतू पालीवाल, नेहा चंसौरिया, श्री रामजी गुप्ता, श्री शिवकुमार गोस्वामी, श्री मो० हनीफ आदि सम्मानित सदस्यगणों की मौजूदगी सराहनीय रही।

